न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/20/2025 रजू दिनांकः 10.02.2025 रजि0 न0 2025/27

अपीलार्थीः–

श्री अनिश गुप्ता, वार्ड नं0 10, खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 24.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 09.12.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/635 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन कमांक 277697783559892 दिनांक 09.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन कमांक 277697783559892 दिनांक 09.12.2024 के माध्यम से राशनकार्ड सं. 118501000259 के माध्यम से राशन सामग्री, राशन की मात्रा व उठाव संबंधी 02 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई थी। किन्तु राशनकार्ड सं. 118501000259 जिला खैरथल–तिजारा से संबंधित है, कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, खैरथल–तिजारा से ही अपेक्षित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में ऑनलाईन पत्र सं. 5143993140 दिनांक 07.02.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है। तथापि अपील अपील के अनुपालना में पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय से अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में RTI Online Portal Letter No. 5143993140 दिनांक 07.02.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि कमांक सम/636 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)